



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052023-245802
CG-DL-E-11052023-245802

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 9, 2023/वैशाख 19, 1945

No. 280]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 9, 2023/ VAISAKHA 19, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2023

सा.का.नि. 352 (अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिनमें केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

2. विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

	और आईयूपीआरएम														
(10)	कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन और ईंधन की खपत ⁽⁶⁾	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां (दोनों ईंधन)
(11)	धुएँ अपारदर्शिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	हां	हां	हां	हां
(12)	इंजन की शक्ति	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां
(13)	भारतीय गैसीय उत्सर्जन परीक्षण प्रयोज्यता	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन) ५	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां
(14)	भारतीय पीएन उत्सर्जन परीक्षण प्रयोज्यता ५	हां	हां	-	-	-	-	हां केवल) (गैसोलीन)	हां (केवल गैसोलीन)	हां केवल) (गैसोलीन)	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां

(ग) तालिका 2 के अधीन पाद टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पाद टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"7) विनिर्माता प्रयोज्यता के अनुसार टाइप अनुमोदन और उत्पादन परीक्षण की अनुरूपता के लिए निम्नलिखित ईंधनों अर्थात् संदर्भ गैसोलीन (ई5) या संदर्भ गैसोलीन (ई10) या संदर्भ गैसोलीन (ई20) में से एक का चयन करेंगे। यदि वाहन ई20 मोनो ईंधन के साथ अनुमोदित है, तो ई20 से कम के मोनो ईंधन के लिए अलग प्रमाणन की आवश्यकता होगी"

(घ) तालिका 2 के पश्चात्, "टिप्पणियों" में,

(i) मद (4) (ज) के स्थान पर निम्नलिखित मद (4) (ज) प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(ज) संदर्भ ई20 ईंधन (गैसोलीन में इथेनॉल का 20 प्रतिशत) आईएस 17943: 2022 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगा।"

(ii) निम्नलिखित मद (4) (ट) को मद (4) (ज) के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(ट) संदर्भ बी100 ईंधन अनुबंध IV-ध और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगा।"

(iii) निम्नलिखित मद 9 (ix) को मद 9 (viii) के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(ix) वाणिज्यिक ईंधन ई85 (गैसोलीन में इथेनॉल का 85 प्रतिशत) के लिए विशिष्टता आईएस 16634:2017 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगी।"

(iv) मद (21) के स्थान पर निम्नलिखित मद (21) को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(21) ई85/ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता को वाहन विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे एआईएस-171:2021 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार स्पष्ट रूप से नजर आने वाले स्टिकर लगाकर वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा।"

(v) मद (22) के स्थान पर निम्नलिखित मद (22) को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(22) द्वि-ईंधन वाहनों के लिए संदर्भ गैसोलीन ईंधन अनुमोदन के दौरान विनिर्माता द्वारा घोषित किए गए अनुसार ई5 या ई10 या ई12 या ई15 या ई20 होगा।"

(ii) उप-नियम (18) के खंड (ii) में,

(क) मौजूदा तालिका 2 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका 2 को प्रतिस्थापित किया जाएगा

तालिका 2

टाइप अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की प्रयोज्यता- बीएस- VI

(1)	(2)	सकारात्मक प्रज्वलन इंजन						संपीडन प्रज्वलन इंजन				ड्यूअल ईंधन इंजन	
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
(1)	संदर्भ ईंधन	मोनो ईंधन						फ्लेक्स ईंधन	मोनो ईंधन			फ्लेक्स ईंधन	
		गैसोलीन[(ई5)/ (ई10)/ (ई20)] ⁽³⁾	शुद्ध इथेनॉल (ई100)	एलपी जी	सीएनजी/वायो-मिथेन/वायो-गैस/एलएनजी	हाइड्रोजन (आईसीई) ⁽³⁾⁽⁴⁾	एचसीएन जी (हाइड्रोजन + सीएनजी)	इथेनॉल (ई20) से (ई100)	डीजल (बी7) ⁽¹⁾	वायो-डीजल 100%	इथेनॉल (ईडी 95)	वायो-डीजल (बी7) से(बी100) ⁽¹⁾	डीजल (बी7) + (सीएन जी / एलएन जी) ⁽²⁾
(2)	गैसीय प्रदूषक	हां	हां	हां	हां	हां (5)	हां	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां	हां(2)
(3)	कण द्रव्यमान	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां	हां(2)
(4)	पीएम संख्या	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां	हां(2)
(5)	टिकाउपन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां (ई20)	हां	हां	हां	हां	हां(2)
(6)	ओबीडी	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां(2)
(7)	ऑफ साइकल उत्सर्जन (डब्ल्यूएन टीई)	--	--	--	--	--	--	--	हां	हां	हां	हां	हां(2)
(8)	टाइप अनुमोदन पर पीईएमएस प्रतिपादन परीक्षण	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां	हां(2)
(9)	इन सर्विस अनुरूपता	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां	हां(2)

(ख) तालिका 2 के अधीन पाद टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित पाद टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे:

"(3) विनिर्माता प्रयोज्यता के अनुसार टाइप अनुमोदन और उत्पादन परीक्षण की अनुरूपता के लिए निम्नलिखित ईंधनों अर्थात् संदर्भ गैसोलीन (ई5) या संदर्भ गैसोलीन (ई10) या संदर्भ गैसोलीन

(3)	(परीक्षण 12 टाइप I परीक्षण कण द्रव्यमान	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां केवल) (गैसोलीन	हां (केवल गैसोलीन)	हां केवल) (गैसोलीन	हां केवल) (गैसोलीन	हां	हां	हां	हां
(4)	निष्क्रिय उत्सर्जन टाइप II))	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां दोनों) (ईंधन	हां (दोनों ईंधन)	हां केवल) (गैसोलीन	हां दोनों) (ईंधन	-	-	-	-
(5)	क्रैककेस उत्सर्जन टाइप III) (परीक्षण	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
(6)	वाष्पीकरणीय उत्सर्जन टाइप IV) (परीक्षण	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां केवल) (गैसोलीन	हां केवल) (गैसोलीन	हां केवल) (गैसोलीन	हां केवल) (गैसोलीन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(7)	टिकाऊपन टाइप V) (परीक्षण	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां केवल) (गैसोलीन	हां केवल) गैसोलीन(हां केवल) (गैसोलीन	हां केवल) (गैसोलीन	हां	हां	हां	हां केवल) बी7
(8)	M कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन और ईंधन की खपत ⁶	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां दोनों) (ईंधन	हां (दोनों ईंधन)	हां दोनों) (ईंधन	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां	हां दोनों) (ईंधन
(9)	ऑन बोर्ड डायग्नोसिस ओबीडी	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां केवल) (गैसोलीन	हां केवल) (गैसोलीन	हां केवल) (गैसोलीन	हां केवल) (गैसोलीन	हां	हां	हां	हां
(10)	धुम्र अपारदर्शिता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां

(ख) तालिका 2 के अधीन पाद टिप्पण 4 के पश्चात् निम्नलिखित पाद टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(5) विनिर्माता प्रयोज्यता के अनुसार टाइप अनुमोदन और उत्पादन परीक्षण की अनुरूपता के लिए निम्नलिखित ईंधनों अर्थात् संदर्भ गैसोलीन (ई5) या संदर्भ गैसोलीन (ई10) या संदर्भ गैसोलीन (ई20) में से एक का चयन करेंगे। यदि वाहन ई20 मोनो ईंधन के साथ अनुमोदित है, तो ई20 से कम के मोनो ईंधन के लिए अलग प्रमाणन की आवश्यकता होगी"

(ग) तालिका 2 के पश्चात् "टिप्पणियों" में,

(i) मद (4) (घ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"(घ) संदर्भ इथेनॉल ईंधन (ई100) अनुबंध IV-धक के अनुसार होगा"

(ii) मद (4) (i) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(i) संदर्भ ई20 ईंधन (गैसोलीन में इथेनॉल का 20 प्रतिशत) आईएस 17943: 2022 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगा।"

(iii) निम्नलिखित मद (4) (ट) को मद (4) (ज) के पश्चात्. अंतःस्थापित किया जाएगा:

"(ट) संदर्भ बी100 ईंधन अनुबंध IV-ध और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगा।"

(iv) मद (5) (ड.) के लिए मौजूदा पाठ्य भाग के स्थान पर निम्नलिखित पाठ्य भाग को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(ड.) वाणिज्यिक ई85 ईंधन (गैसोलीन में 85 प्रतिशत इथेनॉल) विशिष्टताएं समय-समय पर यथासंशोधित आईएस 16634:2017 के अनुसार होगा।"

(v) मद (15) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(15) ई85/ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता को वाहन विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे समय - समय पर यथासंशोधित एआईएस-171:2021 के अनुसार स्पष्ट रूप से नजर आने वाला स्टिकर लगाकर वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा।"

(vi) मद (16) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(16) द्वि-ईंधन वाहनों के लिए संदर्भ गैसोलीन ईंधन अनुमोदन के दौरान विनिर्माता द्वारा घोषित किए गए अनुसार ई5 या ई10 या ई12 या ई15 या ई20 होगा।"

(iv) उप-नियम (20) में,

(क) मौजूदा तालिका 2 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका 2 प्रतिस्थापित की जाएगी

तालिका 2

टाइप अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की प्रयोज्यता- बीएस- VI

		हाइब्रीड के साथ पीआईई इंजन वाले यान								हाइब्रीड के साथ सीआईई इंजन वाले यान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
(1)	संदर्भ ईंधन	मोनो ईंधन					द्वि- ईंधन (9)		फ्लेक्स ईंधन	मोनो ईंधन	डूएल ईंधन	फ्लेक्स ईंधन		
		गैसोलीन (ई5)/ (ई10)/(ई20) (5)	शुद्ध इथेनॉल (ई 100)	एलपीजी	सीएनजी / वायो मिथेन / वायोगैस/ एलएनजी	एच2	एचसीएनजी (हाइड्रोजन + सीएनजी)	गैसोलीन (ई5) / (ई10)/(ई20) (5)	गैसोलीन (ई5) / (ई10)/(ई20)/ (5)	इथेनॉल (ई20) से (ई100)	डीजल (बी7) (1)	वायो- डीजल (बी100)	डीजल + सीएनजी	वायो-डीजल (बी7) से(बी100)(1)
(2)	गैसीय प्रदूषक (टाइप I परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	
(3)	(2) टाइप I परीक्षण कण द्रव्यमान	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	
(4)	निष्क्रिय उत्सर्जन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	-	-	-	-	

	(टाइप II परीक्षण)						(दोनों ईंधन)	(दोनों ईंधन)	(दोनों ईंधन)				
(5)	क्रैक्रेस उत्सर्जन (टाइप III परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
(6)	वाष्पीकरणीय उत्सर्जन (टाइप IV परीक्षण)	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां (केवल गैसोलीन)	हां (केवल गैसोलीन)	हां (केवल गैसोलीन)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(7)	टिकाउपन (टाइप V परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	हां	हां (केवल गैसोलीन)	हां (केवल गैसोलीन)	हां (केवल गैसोलीन)	हां	हां	हां	हां (केवल बी7)
(8)	⁴ कार्बन डाईऑक्साइड और ईंधन खपत	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हां (दोनों ईंधन)	हां	हां	हां (दोनों ईंधन)
(9)	ओबीडी चरण II	हां	हां	हां	हां	हां	हां (केवल गैसोलीन)	हां (केवल गैसोलीन)	हां (केवल गैसोलीन)	हां	हां	हां	हां
(10)	धूम्र अपारदर्शिता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां

(ख) तालिका 2 के अधीन पाद टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित पाद टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(5) विनिर्माता प्रयोज्यता के अनुसार टाइप अनुमोदन और उत्पादन परीक्षण की अनुरूपता के लिए निम्नलिखित ईंधनों अर्थात् संदर्भ गैसोलीन (ई5) या संदर्भ गैसोलीन (ई10) या संदर्भ गैसोलीन (ई20) में से एक का चयन करेंगे। यदि वाहन ई20 एकल ईंधन के साथ अनुमोदित है, तो ई20 से कम के एकल ईंधन के लिए अलग प्रमाणन की आवश्यकता होगी"

(ग) तालिका 2 के पश्चात्, "टिप्पणियों" में,

(i) मद (4) (ज) के लिए, मौजूदा पाठ्य भाग के स्थान पर निम्नलिखित पाठ्य भाग प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"(ज) संदर्भ ई20 ईंधन (गैसोलीन में इथेनॉल का 20 प्रतिशत) आईएस 17943: 2022 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगा।"

(ii) निम्नलिखित मद (4) (झ) को मद (4) (ज) के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(झ) संदर्भ बी100 ईंधन अनुबंध IV-ध और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगा।"

(iii) मद (5) (v) के स्थान पर निम्नलिखित पाठ्य भाग प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"(v) वाणिज्यिक ईंधन ई85 (गैसोलीन में इथेनॉल का 85 प्रतिशत) के लिए विशिष्टता आईएस 16634:2017 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगी।"

(iv) मद (16) के स्थान पर निम्नलिखित मद (16) को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(16) ई85/ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता को वाहन विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे एआईएस-171:2021 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार स्पष्ट रूप से नजर आने वाले स्टिकर लगाकर वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा।"

(v) मद (17) के स्थान पर निम्नलिखित मद (17) को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(17) द्वि-ईंधन वाहनों के लिए संदर्भ गैसोलीन ईंधन अनुमोदन के दौरान विनिर्माता द्वारा घोषित किए गए अनुसार ई5 या ई10 या ई12 या ई15 या ई20 होगा।"

(ii) उप-नियम (22) में,

(क) मौजूदा तालिका 2 के स्थान पर निम्नलिखित तालिका 2 को प्रतिस्थापित किया जाएगा

तालिका 2

टाइप अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं की प्रयोज्यता- बीएस- VI

(1)	हाइब्रीड के साथ सकारात्मक प्रज्वलन(पीआई) इंजन वाले वाहन									हाइब्रीड के साथ संपीड़न प्रज्वलन(सीआई) इंजन वाले वाहन			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	संदर्भ ईंधन	मोनो ईंधन					द्वि- ईंधन (अ/क)		(क) फ्लेक्स ईंधन	मोनो ईंधन		डुअल ईंधन	फ्लेक्स ईंधन
		गैसोलीन (ई5)/(ई10)/(ई20) ^(क)	शुद्ध इथेनॉल (ई100)	एलपीजी / मिथेन / वायोगैस/ एलएनजी	सीएनजी / वायो मिथेन / वायोगैस/ एलएनजी	हाइड्रोजन (आईसीई)	एचसीएनजी (हाइड्रोजन + सीएनजी)	गैसोलीन (ई5)/(ई10)/(ई20) ^(क)	गैसोलीन (ई5)/(ई10)/(ई20) ^(क)	इथेनॉल (ई20) to (ई100)	डीजल (बी7) ^(क)	वायो-डीजल (बी100)	डीजल
(2)	गैसीय प्रदूषक (टाइप I परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	हां	हां ^(क)	हां ^(क)	हां ^(क)	हां	हां	हां	हां ^(क)
(3)	(2) कण द्रव्यमान (टाइप I परीक्षण)	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां ^(क)	हां ^(क)	हां ^(क)	हां	हां	हां	हां ^(क)
(4)	निष्क्रिय उत्सर्जन (टाइप II परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	हां	हां ^(क)	हां ^(क)	हां ^(क)	-	-	-	-
(5)	क्रैककेस उत्सर्जन (टाइप III परीक्षण)	हां	हां	हां	हां	हां	हां ^(क)	हां ^(क)	हां ^(क)	हां	हां	हां	हां
(6)	वाष्पीकरणीय उत्सर्जन (टाइप IV परीक्षण)	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां ^(क)	हां ^(क)	हां ^(क)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(7)	टिकाउपन	हां	हां	हां	हां	हां	हां ^(क)	हां ^(क)	हां ^(क)	हां	हां	हां	हां ^(क)

(8)	(टाइप V परीक्षण)												
(8)	(4) कार्बन डीऑक्साइड और ईंधन खपत	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां ^(ग)	हां ^(ग)	हां ^(ग)	हां	हां	हां ^(ग)
(9)	आनबोर्ड डायग्नोसिस (ओबीडी)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां ^(क)	हां ^(क)	हां ^(क)	हां	हां	हां
(10)	धूम्र अपारदर्शिता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
(11)	इंजन शक्ति	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां ^(ग)	हां ^(ग)	हां ^(ग)	हां	हां	हां

(ख) तालिका 2 के अधीन निम्नलिखित पाठ्य भाग के स्थान पर "शर्तें" प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"शर्तें-

क केवल गैसोलीन

ख दोनों ईंधन

ग केवल बी7 ईंधन"

(ग) तालिका 2 के अधीन पाद टिप्पण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित पाद टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(6) विनिर्माता प्रयोज्यता के अनुसार टाइप अनुमोदन और उत्पादन परीक्षण की अनुरूपता के लिए निम्नलिखित ईंधनों अर्थात् संदर्भ गैसोलीन (ई5) या संदर्भ गैसोलीन (ई10) या संदर्भ गैसोलीन (ई20) में से एक का चयन करेंगे। यदि वाहन ई20 एकल ईंधन के साथ अनुमोदित है, तो ई20 से कम के एकल ईंधन के लिए अलग प्रमाणन की आवश्यकता होगी।"

(घ) तालिका 2 के पश्चात्, "टिप्पणियों" में,

(i) मद (7) (झ) के लिए मौजूदा पाठ्य भाग के स्थान पर निम्नलिखित पाठ्य भाग प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"(झ) संदर्भ ई20 ईंधन (गैसोलीन में इथेनॉल का 20 प्रतिशत) आईएस 17943: 2022 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगा।"

(ii) निम्नलिखित मद (4) (ट) को मद (4) (ज) के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(ट) संदर्भ बी100 ईंधन अनुबंध IV-ध और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगा।"

(iii) मद (8) (ड) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

"(ड) वाणिज्यिक ईंधन ई85 (गैसोलीन में इथेनॉल का 85 प्रतिशत) के लिए विशिष्टता आईएस 16634:2017 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार होगी।"

(iv) मद (15) के स्थान पर निम्नलिखित मद (15) को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(15) ई85/ई100 के इथेनॉल मिश्रण के स्तर के लिए वाहन की अनुकूलता को वाहन विनिर्माता द्वारा परिभाषित किया जाएगा और इसे एआईएस-171:2021 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार स्पष्ट रूप से नजर आने वाले स्टिकर लगाकर वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा।"

(v) मद (16) के स्थान पर निम्नलिखित मद (16) को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(16) द्वि-ईंधन वाहनों के लिए संदर्भ गैसोलीन ईंधन अनुमोदन के दौरान विनिर्माता द्वारा घोषित किए गए अनुसार ई5 या ई10 या ई12 या ई15 या ई20 होगा।"

[फा. सं. आरटी-11036/133/2020-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि.....(अ), दिनांकित द्वारा संशोधित किए गए थे। *****

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2023

G.S.R. 352(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

2. The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2023.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein referred to as principal rules), in rule 115,-

(i) In sub-rule (18), in clause (i),

a) The existing foot notes (3) and (4) under Table 1, shall be renumbered as (1) and (2) respectively.

b) The existing Table 2, shall be substituted by following Table 2

TABLE 2
APPLICABILITY OF TEST REQUIREMENTS FOR TYPE-APPROVAL-BSVI

	Vehicle with Positive Ignition Engines including Hybrids										Vehicles with Compression Ignition Engines including Hybrids			
	Mono fuel					Bi-Fuel ⁽¹⁾					Flex Fuel ⁽¹⁾	Mono Fuel	Dual Fuel	Flex Fuel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
(1)	Gasoline [(E5)/(E10)/(E20)] ⁽⁷⁾	Pure Ethanol (E100)	LPG	CNG/Bio-Methane/Bio-Gas/LNG	Hydrogen (ICE) ⁽³⁾	HCNG (Hydrogen +CNG)	Gasoline[(E5)/(E10)/(E20)] ⁽⁷⁾	Gasoline[(E5)/(E10)/(E20)] ⁽⁷⁾	Gasoline[(E5)/(E10)/(E20)] ⁽⁷⁾	Ethanol (E20) to (E100)	Diesel (B7) ⁽⁵⁾	Bio-Diesel (B100)	Diesel +CNG	Bio-Diesel (B7) to (B100) ⁽⁵⁾
(2)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels) ⁽²⁾	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes
(3)	Yes ⁴	Yes ⁴	-	-	-	-	Yes ⁽⁴⁾ (Gasoline)	Yes ⁽⁴⁾ (Gasoline)	Yes ⁽⁴⁾ (Gasoline)	Yes ⁽⁴⁾ (b)	Yes	Yes	Yes	Yes

	Mass and Particulate Number (Type I Test)						only)	only)	only)	oth fuels)				
(4)	Idle Emissions (Type II Test)	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (Gasoline only)	Yes (both fuels)	-	-	-
(5)	Crankcase Emissions (Type III Test)	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (E20 only)	-	-	-
(6)	Evaporative Emissions (Type IV test)	Yes	Yes	-	-	-	-	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (E20 only)	-	-	-
(7)	Durability (Type V Test)	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (E20 only)	Yes	Yes	Yes
(8)	In-Service Conformity	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (Gasoline only)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes
(9)	On-Board Diagnostics and IUPRm	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
(10)	CO2 emission and fuel consumption ⁽⁶⁾	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes
(11)	Smoke Opacity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Yes	Yes	Yes
(12)	Engine Power	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes
(13)	RDE gaseous emissions test applicability	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels) ⁽²⁾	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes
(14)	RDE PN emissions test applicability ⁽⁴⁾	Yes	Yes	-	-	-	-	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes

(c) After foot note Table 2, following foot notes shall be inserted namely:

“7) Manufacturers shall select one of the following fuels, i.e., Reference Gasoline (E5) or Reference Gasoline (E10) or Reference Gasoline (E20) for Type Approval and Conformity of Production test as per applicability. If vehicle is approved with E20 monofuel, then separate certification would be required for monofuel below E20”

(d) After Table 2, in “Notes”,

(i) the item (4) (j) shall be substituted with following item (4) (j) namely:

“(j) The reference E20 fuel (20 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 17943: 2022 and as amended from time to time.”

(ii) The following item (4) (k) shall be inserted after item (4) (j) namely:

“(k)The reference B100 fuel shall be as per Annexure IV-S and as amended from time to time.”

(iii) The following item 9 (ix) shall be inserted after item 9 (viii) namely:

“(ix) Specification for commercial fuel E85 (85 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 16634:2017 and as amended time to time.”

(iv) For item (21), following item (21) shall be substituted:

“(21) The compatibility of vehicle to the level of Ethanol blend of E85/E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on the vehicle by putting a clearly visible sticker as per AIS-171:2021 as amended from time to time.”

(v) For item (22), following item (22) shall be substituted:

“(22) For the Bi-fuel vehicles, the reference gasoline fuel shall be as per E5 or E10 or E12 or E15 or E20 as declared by the manufacturer during Approval.”

(ii) In sub-rule (18), in clause (ii),

(a) The existing Table 2, shall be substituted by following Table 2

TABLE 2

APPLICABILITY OF TEST REQUIREMENTS FOR TYPE-APPROVAL-BSVI

	Positive Ignition Engines							Compression Ignition Engines				Dual Fuel Engines
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Reference Fuel	Mono Fuel						Flex Fuel	Mono Fuel			Flex Fuel	
	Gasoline [(E5)/ (E10)/ (E20)] ⁽³⁾	Pure Ethanol (E100)	LP G	CNG/Bio - Methane/ Bio-Gas/LNG	Hydrogen (ICE) ^{(3) (4)}	HCNG (Hydrogen + CNG)	Ethanol (E20) to (E100)	Diesel (B7) ⁽¹⁾	Bio-diesel 100 %	Ethanol (ED 95)	Bio-Diesel (B7) to (B100) ⁽¹⁾	Diesel (B7) + (CNG / LNG) ⁽²⁾
(1) Gaseous Pollutants	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽⁵⁾	Yes	Yes (Both Fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾
(2) Particulate Mass	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Both Fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾
(3) PM Number	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Both Fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾
(4) Durability	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (E20)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾
(5) OBD	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾
(6) Off Cycle Emissions (WNTE)	--	--	--	--	--	--	--	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾
(7) PEMS Demonstration Test at Type Approval	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Both Fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾
(8) In-Service Conformity	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Both Fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ⁽²⁾

(b) After foot note 2 under Table 2, following foot notes shall be inserted namely:

“(3) Manufacturers shall select one of the following fuels, i.e., Reference Gasoline (E5) or Reference Gasoline (E10) or Reference Gasoline (E20) for Type Approval and Conformity of Production test as per applicability. If vehicle is approved with E20 monofuel, then separate certification would be required for monofuels below E20”

(c) After Table 2, in “Notes”,

(i) After item (4) (g), following items (4) (h), (4) (i), (4) (j) shall be inserted namely:

“(h)The reference E20 fuel (20 percent of Ethanol in Gasoline) shall as per IS 17943: 2022 and as amended from time to time.”

(i) The reference E85 fuel (85 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per the Annexure IV-Q.”

(j) The reference B100 fuel shall be as per Annexure IV-S and as amended from time to time.”

(ii) The item (7) (e), shall be substituted with following text namely:

“Specifications for commercial ED95 shall be as specified in accordance with the Indian Standards as amended from time to time”

(iii) After the item (7) (g), following items (7) (h)& (7) (i) shall be inserted namely:

“(h) Specification for commercial fuel E20 (20 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 17021: 2018, and as amended time to time.”

(i) Specification for commercial Ethanol fuel E85 (85 percent of Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 16634:2017 and as amended time to time.”

(iv) For the item (18), following items (18) shall be substituted namely:

“(18) The compatibility of vehicle to the level of Ethanol Fuel E85/ E100/ED95 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on vehicle by a clearly visible sticker as per AIS-171:2021.”

(iii) In sub-rule (19), in clause (i),

(a) The existing Table 2, shall be substituted by following Table 2

TABLE 2
APPLICABILITY OF TEST REQUIREMENTS FOR TYPE-APPROVAL-BSVI

		Vehicle with Positive Ignition Engines including Hybrids									Vehicles with Compression Ignition Engines including Hybrids			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(1)	
(1)	Mono fuel						Bi-Fuel ⁽³⁾			Flex Fuel	Mono Fuel		Dual Fuel	Flex Fuel
	Gasoline [(E5)/(E10)/(E20)] ⁽⁵⁾	Pure Ethanol (E100)	LPG	CNG/Bio-Methane/Bio-Gas/LNG	H2	HCNG (Hydrogen +CNG)	Gasoline [(E5)/(E10)/(E20)] ⁽⁵⁾	Gasoline [(E5)/(E10)/(E20)] ⁽⁵⁾	Gasoline [(E5)/(E10)/(E20)] ⁽⁵⁾	Ethanol (E20) to (E100)	Diesel (B7) ⁽¹⁾	Bio-Diesel (B100)	Diesel +CNG	Bio-Diesel (B7) to (B100) ⁽¹⁾
(2)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
							(both fuels)	(both fuels)	(both fuels)	(both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes

(3)	⁽²⁾ Type I test Particulate mass	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes	Yes	Yes	Yes
(4)	Idle Emission (Type II)	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (Gasoline only)	Yes (both fuels)	-	-	-	-
(5)	Crankcase Emission (Type III Test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
(6)	Evaporative Emission (Type IV test)	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	No	No	No	No
(7)	Durability (Type V Test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes	Yes	Yes	Yes (B7 only)
(8)	(4)CO2 emission and fuel consumption	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)
(9)	On board diagnosis OBD	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes (Gasoline only)	Yes	Yes	Yes	Yes
(10)	Smoke Opacity	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes

(b) After foot note 4 under Table 2, following foot notes shall be inserted namely:

“(5) Manufacturers shall select one of the following fuels, i.e., Reference Gasoline (E5) or Reference Gasoline (E10) or Reference Gasoline (E20) for Type Approval and Conformity of Production test as per applicability. If vehicle is approved with E20 monofuel, then separate certification would be required for monofuels below E20”

(c) After Table 2, in “Notes”,

(i) Item (4)(d) shall be substituted with following.

“(d) The reference Ethanol fuel (E100) shall be as per Annexure IV-SA”

(ii) Item (4)(i), shall be substituted with the following namely:

“(i) The reference E20 fuel (20 percent of Ethanol in Gasoline) shall as per IS 17943: 2022 and as amended from time to time.”

(iii) Following item (4) (k) shall be inserted after item (4) (j) namely:

“(k) The reference B100 fuel shall be as per Annexure IV-S and as amended from time to time.”

(iv) For item (5)(e), for existing text following text shall be substituted namely:

“(e) The commercial E85 fuel (85 percentage Ethanol in Gasoline) specification shall be in accordance with IS 16634:2017 as amended from time to time.”

(v) For item (15), following shall be substituted:

“(15) The compatibility of vehicle to the level of Ethanol blend of E85/E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on the vehicle by putting a clearly visible sticker as per AIS-171:2021 as amended from time to time.”

(vi) For item (16), following shall be substituted:

“(16) For the Bi-fuel vehicles, the reference gasoline fuel shall be as per E5 or E10 or E12 or E15 or E20 as declared by the manufacturer during Approval.”

(iv) In sub-rule (20),

(a) The existing Table 2, shall be substituted by following Table 2

TABLE 2
APPLICABILITY OF TEST REQUIREMENTS FOR TYPE-APPROVAL-BSVI

(1)	Vehicle with PI engines including hybrids									Vehicles with CI engines including hybrids			
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Reference Fuel	Mono-fuel						Bi-fuel ⁽³⁾		Flexfuel	Mono-fuel		Dual Fuel	Flexfuel
	Gasoline (E5) / (E10)/(E20) ⁽⁵⁾	Pure Ethanol (E100)	LPG	CNG/Bio methane/BioGas/LNG	H2	HCNG (Hydrogen + CNG)	Gasoline (E5) / (E10)/(E20) ⁽⁵⁾	Gasoline (E5) / (E10)/(E20) ⁽⁵⁾	Ethanol (E20) to (E100) ⁽¹⁾	Diesel (B7)	Bio-Diesel (B100)	Diesel + CNG	Bio-Diesel (B7) to (B100) ⁽¹⁾
(2) Gaseous pollutant (Type I test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (Both fuels)
(3) ⁽²⁾ Type I test Particulate mass	Yes	Yes	No	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes (Both fuels)
(4) Idle emission (Type II test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	-	-	-	-
(5) Crankcase emission (Type III test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
(6) Evaporative emission (Type IV test)	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes (gasoline only)	Yes (gasoline only)	Yes (gasoline only)	No	No	No	No
(7) Durability (Type V test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (gasoline only)	Yes (gasoline only)	Yes (gasoline only)	Yes	Yes	Yes	Yes (B7 only)
(8) ⁽⁴⁾ CO ₂ & Fuel consumption	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes (both fuels)	Yes	Yes	Yes	Yes (both fuels)
(9) OBD Stage II	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes (gasoline only)	Yes (gasoline only)	Yes (gasoline only)	Yes	Yes	Yes	Yes
(10) Smoke Opacity	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes

(b) After foot note 4 under Table 2, following foot notes shall be inserted namely:

“(5) Manufacturers shall select one of the following fuels, i.e., Reference Gasoline (E5) or Reference Gasoline (E10) or Reference Gasoline (E20) for Type Approval and Conformity of Production test as per the applicability. If vehicle is approved with E20 monofuel, then separate certification would be required for monofuels below E20”

(c) After Table 2, in “Notes”,

(i) For item (4)(h), for existing text following text shall be substituted namely:

“(h) The reference E20 fuel (20 percent of Ethanol in Gasoline) shall as per IS 17943: 2022 and as amended from time to time.”

(ii) The following item (4) (i) shall be inserted after item (4) (h) namely:

“(i) The reference B100 fuel shall be as per Annexure IV-S and as amended from time to time.”

(iii) Item (5) (v), shall be substituted by the following text, namely:

“(v) Specifications for commercial ethanol E85 (85 percentage Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 16634:2017 and as amended time to time.”

(iv) For item (16), following item (16) shall be substituted:

“(16) The compatibility of vehicle to the level of Ethanol blend of E85/E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on the vehicle by putting a clearly visible sticker as per AIS-171:2021 as amended from time to time.”

(v) For item (17), the following item (17) shall be substituted:

“(17) For the Bi-fuel vehicles, the reference gasoline fuel shall be as per E5 or E10 or E12 or E15 or E20 as declared by the manufacturer during Approval.”

(v) In sub-rule (22),

(a) The existing Table 2, shall be substituted by following Table 2

TABLE 2
APPLICABILITY OF TEST REQUIREMENTS FOR TYPE-APPROVAL-BSVI

	Vehicle with Positive Ignition (PI) engines including hybrids									Vehicles with Compression Ignition (CI) engines including hybrids			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Reference Fuel	Mono-fuel						Bi-fuel ⁽³⁾⁽⁵⁾		⁽⁵⁾ Flex-fuel	Mono fuel		Dual Fuel	Flex fuel
	Gasoline (E5)/(E10)/(E20) ⁽⁶⁾	Pure Ethanol (E100)	LPG	CNG/Bio-methane/Bio-Gas/LNG	Hydrogen (ICE)	HCNG (Hydrogen + CNG)	Gasoline (E5)/(E10)/(E20) ⁽⁶⁾	Gasoline (E5)/(E10)/(E20) ⁽⁶⁾	Ethanol (E20) to (E100)	Diesel (B7) ⁽¹⁾	Bio-Diesel (B100)	Diesel	Bio-Diesel (B7) to (B100) ⁽¹⁾
(2) Gaseous pollutant (Type I test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ^(b)	Yes ^(b)	Yes ^(b)	Yes	Yes	Yes	Yes ^(b)
(3) ⁽²⁾ Particulate Mass (Type I test)	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes ^(a)	Yes ^(a)	Yes ^(a)	Yes	Yes	Yes	Yes ^(b)
(4) Idle emission (Type II Test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ^(b)	Yes ^(b)	Yes ^(b)	-	-	-	-
(5) Crankcase emission (Type III test)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ^(a)	Yes ^(a)	Yes ^(a)	Yes	Yes	Yes	Yes
(6) Evaporative emission (Type IV test)	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes ^(a)	Yes ^(a)	Yes ^(a)	No	No	No	No
(7) Durability (Type V)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ^(a)	Yes ^(a)	Yes ^(a)	Yes	Yes	Yes	Yes ^(c)

test)													
(8) ⁽⁴⁾ CO ₂ & Fuel consumption	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ^(b)	Yes ^(b)	Yes ^(b)	Yes	Yes	Yes	Yes ^(b)
On Board													
(9) Diagnostic (OBD)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ^a	Yes ^a	Yes ^a	Yes	Yes	Yes	Yes
(10) Smoke Opacity	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
(11) Engine Power	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes ^(b)	Yes ^(b)	Yes ^(b)	Yes	Yes	Yes	Yes

(b) The following text shall be substituted under Table 2, “ conditions” namely:

“Conditions.-

^a Gasoline Only

^b Both Fuels

^c B7 fuel only”

(c) After foot note 5 under Table 2, following foot notes shall be inserted namely:

“(6)Manufacturers shall select one of the following fuels, i.e., Reference Gasoline (E5) or Reference Gasoline (E10) or Reference Gasoline (E20) for Type Approval and Conformity of Production test as per the applicability. If vehicle is approved with E20 monofuel, then separate certification would be required for monofuels below E20.”

(d) After Table 2, in “Notes”,

(i) for item (7)(i), for existing text following text shall be substituted namely:

“(i)The reference E20 fuel (20 percent of Ethanol in Gasoline) shall as per IS 17943: 2022 and as amended from time to time.”

(ii) The following item (4) (k) shall be inserted after item (4) (j) namely:

“(k) The reference B100 fuel shall be as per Annexure IV-S and as amended from time to time.”

(iii) For item (8) (e), following shall be substituted namely:

“(e) Specification for commercial fuel E85 (85 percentage Ethanol in Gasoline) shall be as per IS 16634:2017and as amended time to time.”

(iv) For item (15), following item (15) shall be substituted:

“(15)The compatibility of vehicle to the level of Ethanol blend of E85/E100 shall be defined by the vehicle manufacturer and the same shall be displayed on the vehicle by putting a clearly visible sticker as per AIS-171:2021 as amended from time to time.”

(v) For item (16), following item (16) shall be substituted:

“(16) For the Bi-fuel vehicles, the reference gasoline fuel shall be as per E5 or E10 or E12 or E15 or E20 as declared by the manufacturer during Approval.”

[F. No. RT-11036/133/2020-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated _____.
